श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन – 146/26

तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 01/26

सूरज कुमार..आवेदक

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी

13/03/2026 आवेदक (1) सूरज कुमार उम्र 21 वर्ष, पिता धनन्जय कुमार उर्फ धनन्जय प्रसाद, साकिन छज्जुपुर, थाना तेल्हाड़ा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री उदय कुमार सिन्हा द्वारा संचालित किया गया। आवेदक तेल्हाड़ा थाना कांड सं0– 01/26, दिनांक 03/01/26 को भा0न्या0सं0 की धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 352, 103(1), 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से इससे पूर्व माननीय प्रधान न्यायाधीश नालन्दा के न्यायालय में और न ही हिलसा कैम्प कोर्ट में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। विद्वान अधिवक्त का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक को ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर लगाए गए धारा– 109(1) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य धारायें जमानतीय हैं जो आवेदक पर लागू नहीं होता है। इस वाद का पल्टा वाद तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 02/26 दिनांक 03/01/26 आवेदक द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें बहुत से लोग जख्मी हैं। आवेदक हर साल अपने घर के सामने अपनी ही जमीन पर बने चूल्हे में धान के बीज उबालते हैं, जिसका कोई भी ग्रामीण कभी विरोध नहीं करता है। आवेदक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा इस मुकदमा से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक धारा– 482(2) बी0एन0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक कौशलेन्द्र कुमार द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार दिनांक 02/01/2026 को समय करीब संध्या 5:30 बजे सार्वजनिक गली में पड़ोसी सुरज कुमार, धनन्जय प्रसाद धान इसोरने के लिए बड़ा चूल्हा बनाए हुए थे जिससे आने–जाने में कठिनाई होने के कारण सूचक चूल्हा बनाने से मना किया जिसपर दोनों में बहस होने लगा। बहस होते–होते दोनों पिता, पुत्र सूचक को गन्दी–गन्दी गाली देने लगे। सूचक जब दोनों को गाली देने से मना किया तो धनन्जय प्रसाद सूचक का कॉलर पकड़कर फैट–मुक्का से मारने लगा तथा वहीं पर से गिरे ईंट उठाकर मारा जिससे सूचक का दाहीना हाथ तथा ललाट में जख्म का निशान है। सूचक को मारते देख सूचक का छोटा भाई सौरभ कुमार बीच–बचाव करने आया तो सूरज कुमार हाथ में लिए लोहे के रॉड से भाई को मारा जिससे उसका माथा में गंभीर चोट होने के कारण वह छटपटा कर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सूचक के चाचा जितेन्द्र प्रसाद बीच–बचाव करने आए तो रिंटु कुमार, मंटु कुमर, रिशु कुमार तीनों मिलकर दोनों भाई को गाली–गलौज करने लगे तथा मंटु कुमार ने चाचा को लोहे के खन्ती से मारा जिससे उनका भी माथा फूट गया और वे लहू–लुहान हो गए। तभी अमृता कुमारी, नितु कुमारी और सुगनी देवी सभी मिलकर ईंट–पत्थर

चलाने लगे तब सूचक का छोटे भाई को नाजुक स्थिति तथा बेहोशी की हालत में इलाज कराने हेतु प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र एकंगर सराय ले गया जहॉ मरीज की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विरुद्ध सूचक एवं उसके परिवार के साथ मारपीट करने का विशिष्ट आरोप है। आवेदक पर स्पष्टतः जख्मी सौरभ कुमार के सर पर लोहे के रॉड से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कारने का आरोप है। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के अवलोकन से विदित है कि संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र उमा हॉस्पीटल जिसमें जख्मी इलाजरत था के द्वारा निर्गत जख्म प्रमाण–पत्र में जख्मी के सर पर गंभीर प्रकृति का जख्म प्रतिवेदित है तथा जख्मी का Temporal Bone Fracture पाया गया है। सुनवाई के दौरान विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि इलाज के दौरान जख्मी सौरभ कुमार की मृत्यु दिनांक 11/03/2026 को हो गई है तथा उसके समर्थन में मृतक का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी दाखिल किया गया है जो अवर न्यायालय के आदेश फलक से भी समर्थित है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, मामले, की परिस्थितियों तथा काण्ड की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

Nam

श्री दीपक कुमार यादव
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)